


फर्द अहकाम

राजेश कुमार शर्मा बनाम जयपुर जिला कलेक्टर

न्यायालय

संख्या 107 | 2025

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5 $\frac{2}{26}$	<p>प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्र.प.जा प्रस्तुत करने पर आदेश देकर अधिकारी ने प्रकरण विज्ञापित करने का कार्य किया। प्रार्थी या अधिकारी स्वयं प्रार्थी या अधिकारी से प्रकरण सांगे नही चलाने का लक्ष्य कर प्रकरण विज्ञापित करने का निवेदन किया। अतः अधिकारी द्वारा प्रकरण विज्ञापित करने से प्रकरण इमी स्तर पर रोकित किया जाता है प्रशासकीय दर्ज नम्बर से कर है।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलेक्टर जयपुर </p>	<p>Not Procs 21/11/2025 Inspected by (K) [Signature] 9/12/2025</p>